136/2016 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर

A3

अपील सूचना अधि. सं0 136/2016 अनवानी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री लालाराम जाति ब्राम्हण निवासी खांटा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी, कलक्ट्रेट श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31.01.2017

अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2015 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से सूचना चाही थी जो उनके द्वारा समय अवधि में उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई प्रत्युतर दिया गया। अतः उसके द्वारा चाही गई सूचनांए लोक सूचना अधिकारी से निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे और उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामचन्द्र ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 12.09.15 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः–

(1) कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयसपुर पत्र क्रमांक (एच–4780/14 दिनांक 16.12.14 परिवाद जांच जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट मय कार्यवाही की प्रमाणित शुदा नकल।
(2) माननीय मुख्यमन्त्री महोदया राज0 सरकार से प्राप्त पत्र कंमांक मु.मं./विविध–58156/14/6934 दिनांक 12.12.14 पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित शुदा नकल।

चूंकि अपीलार्थी के द्वारा उक्त दो बिन्दुओ के संबंध में जो सूचना चाही है उसका बिन्दुवार उत्तर लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नही दिया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार 30 दिवस में दिया जाना आवश्यक था। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि आदेश प्राप्ति से 7 दिवस के भीतर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओ पर नियमानुसार निर्णय कर अपीलार्थी को सूचित करे और भविष्य में ऐसे मामलो में निश्चित अवधि में ही उत्तर दिया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर को भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

323-24
6-2-17

यह आदेश आज दिनांक 31.01.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञानाराम)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर